क्रम संख्या—17

पंजीकृत संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009—11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0
पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 28/XXXVI(3)/2010/49(1)/2009
देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) विधेयक, 2009' पर दिनांक 7 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 17 वर्ष, 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2010)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह 01 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय–दो

धारा 2 की उपधारा (1) का संशोधन

2–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 2 की उपधारा (1) में शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''अट्ठारह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 8 विधायी / 35–2010–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।